सं0सं0–7/यक्ष्मा–3–01/2012– 4407

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद ।

पटना, दिनांक : 19 -9-2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹2,03,34,018/–(दो करोड़ तीन लाख चौतीस हजार अट्ठारह) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक–24.04.12, 27(7)ब दिनांक–22.6.12 एवं मांग पत्र के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹2,03,34,018/–(दो करोड़ तीन लाख चौतीस हजार अट्ठारह) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियॉ एवं मशीने एवं उपस्कर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ दरभंगा/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

12. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

13. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

19/9/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4467(9)

पटना, दिनांक : 19 - 9 - 12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11- 01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी / पोषाक (13–06)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	उप निदेशक(यक्ष्मा) का कार्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000
2	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	11700000	5967000	1755000	200000	140400	140400	19902800	66218	0	25000	0	10000	40000	20044018
3	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000
4	अपर मुख्य चि0पदा0,औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000
	कुल	**11700000**	**5967000**	**1755000**	**200000**	**140400**	**140400**	**19902800**	**66218**	**20000**	**45000**	**250000**	**10000**	**40000**	**20334018**

(दो करोड़ तीन लाख चौतीस हजार अट्ठारह) रु. मात्र

सरकार के संयुक्त सचि

44(7)09
19-9-12

1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	208282000	171100000	11700000	182800000	25482000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	114555000	87261000	5967000	93228000	21327000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	31242000	25665000	1755000	27420000	3822000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1689000	600000	200000	800000	889000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2585000	2053200	140400	2193600	391400
6	अन्य भत्ता (01–07)	2546000	2053200	140400	2193600	352400
	योग वेतन एवं भत्ते:–	360899000	288732400	19902800	308635200	52263800
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	66218	66218	933782
8	यात्रा व्यय (11–01)	800000	400000	20000	420000	380000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	400000	200000	0	200000	200000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	500000	250000	45000	295000	205000
11	दूरभाष (13–03)	200000	100000	0	100000	100000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	5000000	2500000	250000	2750000	2250000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	380000	10000	390000	610000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	400000	157000	40000	197000	203000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	200000	80000	0	80000	120000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	1200000	600000	0	600000	600000
17	दवा भंडार (21–02)	600000	200000	0	200000	400000
18	आहार / पथ्य (21–03)	600000	200000	0	200000	400000
19	लघु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	600000	300000	0	300000	300000
	कुल योग:–	373401000	294099400	20334018	314433418	58967582

17/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

4(7)(1)

-9-12